

Advertisement No. (A-1/E-1/2009-10)

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION
GURUKUL KANGRI, HARIDWAR

ASSISTANT PROSECUTING OFFICER EXAMINATION-2009

Date of Advertisement : 19 September, 2009

Last date for the receipt of OMR application Form : 14 October, 2009

The detailed advertisement is also available on the website of Uttarakhand Public Service Commission : www.gov.ua.nic.in/ukpsc

The Uttarakhand Public Service Commission will hold a written examination at various centres in Haridwar District for recommending suitable candidates to the State Govt. for the appointment on the post of Assistant Prosecuting Officer. In case of large number of applications for the post, the commission may hold a Preliminary (Screening) Examination at various centres in the cities mentioned in Appendix-1 of this advertisement. The centre of Preliminary and Main Examination and Date of Examination decided by the commission, will be intimated to the candidates later by means of their Admission Card. The commission may at their discretion allot/change the examination centre and date of examination when circumstances so warrant. The candidates should note that no request of change of examination centre will be granted. In this examination O.M.R. Applications System is applicable and the candidates may obtain O.M.R. application forms from any of the designated Post Offices, mentioned under Sl.No.-16 of this advertisement by paying the requisite fee to the post office as mentioned in Sl.No.-14 (i) and 16 of this advertisement.

The plan of Examination and syllabus for the Preliminary (Screening) Examination and Main Examination are given in Appendix-2 of this advertisement.

2- Detail of Vacancies:

Total Number of Vacancies	Categorywise detail of Vacancies			
	Unreserved	Schedule Casts of Uttarakhand	Schedule Tribes of Uttarakhand	Other Backward Classes of Uttarakhand
38	21	11	Nil	06

The number of vacancies may be increased or decreased by the State Government.

3- Nature of the post :- Gazetted (Group-B)

5- Essential Academic Qualification:-

A candidate for direct recruitment to the post of Assistant Prosecuting Officer must possess a degree in Law from a recognized University established by law.

6- Preferential Qualification: - A candidate who has –

- (i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or
- (ii) Obtained a ‘B’ certificate of National Cadet Corps, shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

7- Nationality: A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be :

- (a) a citizen of India; or
- (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand.

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility has been issued for a period more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note:- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note:- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

9- Marital Status:-

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service.

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

10- Physical Fitness:-

No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for direct appointment he shall be required to pass an examination by a Medical Board.

11- Age:-

A candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than thirty five years on the first day of year of recruitment in which vacancies for direct recruitment are advertised by the commission, as such the candidates must have attained the age of 21 years and must not have crossed the age of 35 years on July, 01, 2009 i.e. they must not have been born earlier than July 02, 1974 and later than July 01, 1988. "Year of recruitment" means a period of twelve month commencing from the first day of July of a Calendar Year.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the State Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Limit:-

will be greater by 05 years for candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes of Uttarakhand (G.O.No-1399/XXX(2)/2005, Dated 21 May, 2005).

(b) The upper age limit shall be greater by 05 years for candidates belonging to Dependents of Freedom Fighters of the Uttarakhand and physically handicapped of Uttarakhand (G.O.No-1244/XXX(2)/2005, Dated 21 May, 2005).

(c) The upper age limit shall be greater by 05 years for Emergency Commissioned Officers/Short Service Commission Officers/Ex-Service Personnel of Uttarakhand who have rendered at least 05 years service in the Army/Navy/ Air force. This age relaxation will also be applicable for such defense service personnel/officers who shall be discharged within 06 months from the last date of submission of the applicants form. This age relaxation will not be admissible to ex-defense service personnel/officer, if

(i) He has been dismissed due to misconduct or inefficiency.

(ii) He has been discharged due to physical disability or weakness as is considered for Defense Services (G.O.No-17/2/1981-Karmik-2, Dated 28 February, 1985).

(d) The upper age limit shall be greater by 05 years for candidate belonging to Skilled Players of classified games of National and International level (G.O.No-22/21/1983-Karmik-2, Dated 28-11-1985).

(e) The upper age limit shall be maximum 50 years for candidates belonging to Uttarakhand Rajya Andolankaries, who have spent less than 07 days in prison (G.O.No-1270/30-2/2004, Dated 11 August, 2004 and G.O.No-776/XX(4)26/UK. Ando./2006-08 (Griha Anubagh-4), Dated 22 October, 2008).

Note :- Candidates must indicate their categories in corresponding columns of the 'OMR' application form, otherwise no relaxation in age shall be allowed.

13- Reservation:-

(i) **Vertical Reservation:-**

The reservation for Scheduled Castes of Uttarakhand, Scheduled Tribes of Uttarakhand and Other Backward Classes of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the State Government in force at the time of the recruitment (G.O. No-1144/ Karmik-

- (a) The horizontal reservation for Physically Handicapped of Uttarakhand, Dependents of Freedom fighters of Uttarakhand and Ex-servicemen of Uttarakhand will be admissible according to the amended provisions of Uttarakhand [Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) Act, 1993 and Govt. Orders issued by the State Government from time to time. The reservation for Physically Handicapped of Uttarakhand will only be applicable, if the concerned post was identified by the State Government within any category of the Physically Handicapped categories.
- (b) The horizontal reservation for Skilled Players of Uttarakhand will be admissible according to the provisions of G.O.No-2461/XXX(2)/2006, Dated 06 October, 2006 and G.O.No-136/XXX(2)/2009, Dated 27 February, 2009.
- (c) The horizontal reservation for women of Uttarakhand will be admissible according to the provision of G.O.No-1144/Karmik-2-2001-53(1), Dated 18 July, 2001, G.O.No-589/Karmik-2/2002, Dated 21 July, 2002 and G.O. No-1966/XXX(2)/2006, Dated 24 July, 2006
- (d) The horizontal reservation for Uttarakhand Rajya Andolankari, who have spent less than 07 days in prison and for eligible dependent of Uttarakhand Rajya Andolankari who have spent more than 07 days in prison or injured in the movement will be admissible according to the provisions of G.O.No-1270/Thirty-2 /2004, Dated 11 August, 2004 G.O.No-4020/XX(4)-7/UK. Ando./2006, Dated 08 November, 2006 and G.O.No-776/XX(4)/26/ UK. Ando./2006-08 (Griha Anubagh-4), Dated 22 October, 2008. This reservation facility is available only up to 10 August, 2011.

Note:- (1) According to the latest provisions of relevant State Government Orders the vertical reservations will be 19% of the total cadre posts for Schedule Castes of Uttarakhand, 04% of the total cadre posts for Scheduled Tribes of Uttarakhand and 14% of the total cadre posts for Other Backward Classes of Uttarakhand.

latest provision of relevant State Government Orders the reservation will be 30% for Uttarakhand women, 05% for Scheduled Caste women, 02% for Dependent of Uttarakhand Freedom Fighter, 03% for Uttarakhand Physically Handicappeds, 04% for Uttarakhand Skilled Players and 10% for Uttarakhand Rajya Andolankari/their eligible dependents.

(3) The Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Dependent of Freedom Fighters, Ex-service personnel, Physically Handicapped, Skilled Players, Uttarakhand Rajya Andolankari and their eligible dependents and women candidates, who are not the domicile of Uttarakhand State, shall not be given the benefit of reservation. Such candidates shall be treated as the candidates of the Un-Reserved (General) Category.

(4) All reserved candidates of Uttarakhand must mention their category in corresponding column of the O.M.R. application form, otherwise they shall not be given the benefit of reservation.

(5) The candidates claiming reservation in more than one category will be entitled to only one concession, whichever is more beneficial to them.

(6) The candidates claiming the benefit of reservation must obtain, in support of their category a certificate issued by the competent authority on the prescribed proforma and shall submit the same to the Commission with the Application Form of Main written Examination which will be sent to the eligible candidates later on by the Commission. Some prescribed proformas are mentioned in Appendix-3 of this advertisement. If any affidavit is also required, the same be submitted duly certified by the Magistrate or Notary.

14- **Fee:-**

(i) For Preliminary Examination:- The fee shall be taken from every candidate with the cost of the O.M.R. application. The details are printed on the OMR envelopes. The fee for unreserved candidates/Other Backward Class candidates of Uttarakhand and all candidates of other States is Rs. 160/- (Rs. 150/- Examination Fee + Rs. 10/- Postal Charges) and the fee for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Physically Handicapped candidates of Uttarakhand is Rs 70/- (Rs. 60/- Examination Fee + Rs. 10/- Postal

servicemen/Dependent of Freedom Fighters/Skilled
Uttarakhand Rajya Andolankari and their eligible dependents of
classified as prescribed for their respective main categories
viz Unreserved or Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class
category.

Note:- No fee has to be paid by the candidate through Treasury Challan or Bank Draft
etc.

(ii) Fee for Main written Examination:- The successful candidates in preliminary
(Screening) examination for main written examination will be required to pay the
additional fees for main examination also. The fee for unreserved candidates/other
backward class candidates of Uttarakhand and all candidates of other states will be Rs.
200/- (In case of main written examination only: Rs. 50/- only) and for Scheduled
caste/Scheduled Tribe candidates of Uttarakhand will be Rs. 80/- (In case of main
written examination only: Rs. 20/- only). Candidates under horizontal reservation will
pay their fees according to their main category. The fees shall be paid with the
application of Main Examination. The fee for main written examination shall be paid by
the candidates through account payee Demand Bank Draft/Postal Order payable to
Secretary, Uttarakhand Public Service Commission Gurukul Kangri, Haridwar
and payable at Haridwar.

15- Nature of Application Form:-

Applications at this stage are being invited for the preliminary (Screening)
Examination only. Candidates declared successful for admission to the main examination or in
case of main examination only, will have to apply again in the detailed application form, which
will be supplied to them by the commission in due course.

16- How to apply:-

OMR application form with instructions can be purchased for Rs. 160/- for
“P.G.” series (Applicable for unreserved candidates and OBC candidates of Uttarakhand and
all candidates of other States) and Rs. 70/- for “P.R.” series (Applicable for SC/ST/PH
candidates of Uttarakhand) in cash through the post offices, located at the following places, till
last date for receipt of application. Candidates under horizontal reservation for Dependents of
Freedom Fighters/Ex-Service Personnel/Skilled Players/Women/Uttarakhand Rajya
Andolankaries and their eligible dependents of Uttarakhand domicile shall purchase

ain category. Candidates must read instructions given
der to fill it up.

- (1) **District Almora:** Almora (H.O.), Ranikhet (H.O.), Bhikiyasen, Dwarahat, Masi.
- (2) **District Bageshwar:-** Bageshwar (H.O.), Baijnath, Kapkot, Kanda.
- (3) **District Chamoli:-** Gopeshwar (H.O.), Joshimath, Chamoli, Karnprayag.
- (4) **District Champawat:-** Champawat (H.O.), Lohaghat, Devidhura, Tanakpur.
- (5) **District Dehradun:-** Dehradun (G.P.O.), Mussoorie, Rishikesh, Vikasnagar, Premnagar, Rajpur, Doiwala, Chakrata.
- (6) **District Haridwar:-** Haridwar (H.O.), Roorkee (H.O.), Laksar, B.H.E.L.
- (7) **District Nainital:-** Nainital (H.O.), Ramnagar, Haldwani (H.O.), Okhalkanda.
- (8) **District Garhwal:-** Pauri (H.O.), Kotdwar (H.O.), Lansdown (H.O.), Srinagar, Dhoomakot.
- (9) **District Pithoragarh:-** Pithoragarh (H.O.), Gangolihat, Berinag, Didihat, Dharchula, Thal, Munsyari.
- (10) **District Rudraprayag:-** Rudraprayag (H.O.), Ukhimath.
- (11) **District Tehri Garhwal:-** New Tehri (H.O.), Narendranagar, Ghansali.
- (12) **District Udham Singh Nagar:-** Rudrapur (H.O.), Pantnagar, Kashipur, Khatima.
- (13) **District Uttarkashi:-** Uttarkashi (H.O.), Barkot, Purola.

17- SOME INSTRUCTIONS FOR FILLING THE OMR APPLICATION

FORM:-

(i) Candidates must go through the advertisement thoroughly and they should apply only after they are satisfied that they fulfill all the conditions of eligibility. (ii) The Application Form must be filled in by the candidates in their own handwriting. Since the OMR application form will be processed on computerized machines, candidates should exercise due care in handling and filling up the Application Form. They should use black H.B. pencil only to darken the circles. For writing in the boxes, they should use blue or black ink pen/ ball point pen. (iii) Candidates desirous of getting the benefit of one or more reservation must mention their category (or categories) in the relevant column of OMR application form and blacken completely the circle by black H.B. pencil, otherwise they shall be deemed to be Unreserved

to be given the benefit of reservation. (iv) Candidates must refer to the instruction booklet available with the form set and candidates must fulfill all the columns of OMR application form in words and figures as and where required and darken the circles by black H.B. pencil. If there is no space provided in column-12 of OMR application form for the category of Uttarakhand Rajya Andolenkries and their eligible dependents, then the candidates who belong to the above category must mention the required details by drawing circle below the details provided for U.F. (Uttarakhand Female) category. (vi) Candidates must write the words “A.P.O. Exam-2009” in column-4 of OMR application form and darken the circle provided for “others” category. In case, circle for “others” category is not mentioned in ‘OMR’ application form, then darken the last category circle provided in the ‘OMR’ application form.

Note:-(1) Candidates must possess a degree in law from a recognized University up to the last date fixed for the receipt of the OMR application form, otherwise the application form of the candidate shall be rejected.

(2) Candidates must retain a photocopy of their OMR application form and in all communication to the commission; they must mention the OMR application form number.

18- ENCLOSURES:-

(i) Candidates must paste one self attested passport size photograph on the OMR application form at the space provided for the purpose and should sign in the space provided below the photograph otherwise their application shall be rejected. Candidates must keep with them a copy of the self attested photograph, identical to the photograph pasted on the OMR application form and it will be used for application form for main examination, admit card and attendance sheet etc. later on. If the photograph affixed on the OMR application form and the photograph used for application form for Main Examination, Admit Card and Attendance Sheet do not resemble the candidature of the candidate shall be cancelled.

(ii) Candidates must affix postal stamp of Rs. 30/- on window envelope provided with the OMR application form and the envelope and duly stamped self addressed Post Card have to be enclosed with the OMR application form.

Note:- No certificate has to be enclosed with the OMR application form in support of the information/claims filled by the candidates in various columns of application form.

IPT OF APPLICATION:-

Application forms completed in all respects must reach the “Secretary, Uttarakhand Public Service Commission, Gurukul Kangri, Haridwar-249404” at the commission office either by registered post/speed post or personally (by hand) up to 06-00 P.M. on or before **14 October, 2009.** Application forms through any other means shall not be accepted. Applications received in the commission’s office after the closing date will not be considered.

20- SOME INFORMATIONS ABOUT MAIN EXAMINATION AND INTERVIEW:-

(i) In case the commission will hold the preliminary examination, only such candidates will be admitted to the main (written) examination who are declared successful in the preliminary examination. Marks obtained in preliminary examination shall not be added with the marks obtained in Main written examination and Interview. (ii) Candidates should carefully note that they will appear for the main examination against the same Roll Number as allotted for the preliminary examination. In case the commission will not hold the preliminary examination, the Roll Number will be allotted to the candidates later on. (iii) The examination centre and dates for the examination shall be fixed by the commission later on. (iv) Only such candidates will be called for interview who are declared successful on the basis of the main (written) examination. (v) Candidates declared eligible for main written examination will be communicated along with format of application for Main Examination by the commission in due course. (vi) The candidates must enclose all required self attested certificates etc. in support of their claims rendered in the application form for main examination. If they do not enclose the certificates etc. in support of their claims their candidature shall be cancelled. (vii) Candidates will have to fill up the prescribed form (To be supplied at the time of interview) before the interview (Viva-Voce test). (viii) All certificates shall be verified with original certificates at the time of interview. Candidates will also be required to furnish 02 passport size photographs, attested by their Head of the Department or Head of the Institution where they received last education or by a Gazetted Officer at the time of interview. (ix) Candidates serving under the Central or State Government/Undertaking will have to produce “No Objection Certificate” in original from their employer before or at the time of interview. (x) It is essential for the candidates to appear in interview who qualify on the basis of main examination under the provisions laid down in Service Rules for service of recruitment where

indicated. (xi) The question papers will be set in Hindi and English. Candidates have option to answer in Hindi or English (Except Hindi Medium candidates). Candidates should follow the instructions given in the question paper and answer booklet.

21- **IMPORTANT INSTRUCTION FOR CANDIDATES:**

- (i) The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to the examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions. Mere issue of admission cards to the candidates will not imply that his/her candidature has been finally cleared by the commission. If it is found at any stage that applicant was not eligible or that his/her application should have been rejected or was not entertainable initially, his/her candidature will be rejected and if the candidate is selected, the recommendation of the commission shall be withdrawn.
- (ii) The candidates must fill all columns of the application clearly and must not leave any column of the application unfilled. On being illegible, ambiguous and misleading, the application form shall be rejected.
- (iii) The applications shall be rejected if it's not submitted on prescribed format.
- (iv) No change in the entry made in original Application Form will be allowed under any circumstances.
- (v) Candidates should ensure that the signatures appended by them in all the places viz. in their Application Form, Attendance List etc. and in all the correspondence with the commission should be identical and there should be no variation of any kind. If any variation is found in the signatures appended by him/her at different places, his/her candidature will be liable to be cancelled by the commission.
- (vi) The candidates will have to enclose copies of Marks sheets, Certificates and Degrees etc. attested by any Gazetted Officer or Head of the last institution where education was received in support of their claims of their Educational Qualifications. If they do not enclose certificates/documents in support of their claims, the applications shall be rejected.
- (vii) In condition of being more than one application form in one envelope, or being application forms of more than one advertisement in one envelope, all application forms shall be deemed to be rejected. If any candidate submits more than one

name for this examination, all of his/her application
/her candidature shall be cancelled.

the last date will not be entertained in any case.

Incomplete, erroneous applications and applications not signed by the candidates, even if received within time, will summarily be rejected.

- (ix) The date of birth of the candidates shall be admissible as entered in High School Certificate. The candidates will have to attach his/her High School or equivalent examination certificate with the application form of main examination. No other certificates shall be acceptable for Date of Birth and if it is not attached with the application it shall be rejected.
- (x) The candidature of such candidates who are subsequently found ineligible according to the terms laid down in the advertisement will be cancelled and their claim for appearing in the examinations will not be entertained. The decision of the commission with regard to eligibility or otherwise of the candidate shall be final.
- (xi) The cost of OMR application form shall not be refunded whether the application is used or not.
- (xii) Candidates must write the answers in their own hand. Under no circumstances, they will be allowed the help of a scribe to write the answers for them. However, blind candidates will be allowed to write the answers with the help of a scribe. The educational qualification of a scribe should not be more than intermediate. An extra time of twenty minutes shall be permitted for blind candidates.
- (xiii) The candidates will be allowed the use of non-programmable type calculators at the conventional type examination, if it is permissible as per instructions given in the particular question paper. It is also important to note that candidates are not permitted to use calculators for answering objective type question papers.
- (xiv) **PENALTY FOR WRONG ANSWER:** There will be penalty (Negative Marking) for wrong answers marked by a candidate in the objective type Question Papers.
 - (a) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one fourth (0.25) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

more than one answer for a question, it will be treated as a
the given answers happens to be correct and there will
that question.

- (c) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.
- (xv) After the completion of the examination, the answer keys of all objective type question papers shall be available on the website of the commission and the candidates may represent their objections about the questions and their correct answer option within 15 day's of the publication of the answer keys. Representations received in the commission's office after the closing date will not be considered.
- (xvi) Mobile phones, pagers or any other communication devices are not allowed inside the premises where the examination is being conducted. Any infringement of these instructions shall entail disciplinary action including ban from future examinations. Candidates are advised in their own interest not to bring any of the banned items including mobile phones/pagers to the venue of the examination, as arrangements for safe custody cannot be assured.
- (xvii) **UNFAIR MEANS STRICTLY PROHIBITED:** No candidates shall copy from the papers of any other candidate nor permit his/her papers to be copied nor give nor attempt to give nor obtain nor attempt to obtain irregular assistance of any nature.
- (xviii) **CONDUCT IN EXAMINATION HALL:** No candidates shall misbehave in any manner or create disorderly scene in the Examination Hall or harass the staff employed by the commission for the conduct of the examination. Any such misconduct will be severely penalised.
- (xix) **ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT:**
Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted.

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :

his/her candidature by any means, or (B) writing
one, or (C) Impersonation, or (D) submitting fabricated
which have been tampered with, or (E) making statements
which are incorrect or false or suppressing material information, or (F) resorting to
any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the
selection, or (G) using unfair means during the test, or (H) writing irrelevant matter
including use of obscene or indecent language, or (I) misbehaving in any other
manner in the examination hall, or (J) harassing or doing bodily harm to the staff
employed by the Commission for the conduct of their test, or (K) bringing mobile
phone/communication device in the examination hall/interview room.
(L) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or
any of the acts specified in the foregoing clauses may, in addition to rendering
himself/herself liable to criminal prosecution, be liable:

- (a) to be disqualified by the Commission from selection for which he/she is a candidate, and/or
- (b) to be debarred either permanently or for a specified period :-
 - (i) by the commission from any examination or selection held by them.
 - (ii) by the State Government from any employment under them, and
 - (iii) if he/she is already in service under Government/ Govt. undertaking, initiation of disciplinary action under the appropriate rules.
- (xx) In all communication to the commission, the candidate must mention the name of the examination, advertisement number, date of birth of candidate, father's or husband's name, OMR form number and also the Roll Number, if communicated.
- (xxi) Any change in the address of the candidate must promptly be communicated to the commission by Registered Post.

Appendix-1

Details of examination centres for Preliminary (Screening) Examination. :

Sl. No.	City (District)	Centre Code
1-	Haldwani (Nainital)	01
2-	Haridwar (Haridwar)	02
3-	Dehradun (Dehradun)	03

Appendix-2

Assistant Prosecuting Officer Examination.

- 1- Preliminary (Screening) Examination : (Objective Type)
 2- Main Examination : (A) (Written Examination)
 (B) (Personality Test/Interview)

1- Preliminary (Screening) Examination :-

Question Paper	Subject	Maximum Marks	Time allowed (Hrs.)	No of Questions	Level of Exam.
I	General Studies	100	1.30	100	General
II	Law	100	1.30	100	Law Graduate
Total Marks		200			

NOTE:- (1) In case of large number of applications for the post, the commission may hold a preliminary (Screening) examination.

(2) Marks obtained in preliminary (screening) examination shall not be added with the marks obtained in Main written examination for determining the merit.

2- Main Examination :- (A) Written Examination:

Question Paper	Subject	Maximum Marks	Time allowed (Hrs.)	No of Questions	Level of Exam.	Remarks
I	General Studies	100	3.00	10	General	-
II	General Hindi	100	3.00	14	High School	Minimum Qualifying Marks - 35
III	Law-I (Criminal Law and Procedure with Police Act)	100	3.00	10	Law Graduate	-
IV	Law-II (Evidence Act)	100	3.00	10	Law Graduate	-
Total Marks		400				

NOTE:- (1) Only those candidates shall be called for Personality Test /Interview, who obtained minimum qualifying marks as fixed by the commission in main written examination.

ion to answer the questions in Hindi or English (Except
on paper).

**View: Maximum Marks 50 (No Minimum
Qualifying Marks)**

- NOTE:-** (1) It is essential for the successful candidates in main written examination to appear in Personality Test/Interview.
- (2) Total marks for Main Examination will be 450.

Syllabus for Preliminary Examination

There will be two papers in preliminary examination.

Paper-1 General Studies

Time 1½ hrs

M.M 100

Total number of questions 100 in General Knowledge (Objective Type)

The paper on General Knowledge will include the following topics, besides day to day happenings around India and the world. Candidates are expected to have general awareness about the following:

- (a) General Science
- (b) Current events: National and International
- (c) History of India
- (d) Indian National Movement and Indian Polity
- (e) Geography and Indian Economy
- (f) Art, Culture and Traditions of Uttarakhand
- (g) Revenue Police System and general administrative set up in Uttarakhand
- (h) Forest, Crops, Tribes, Mountains, Rivers of Uttarakhand.

Questions on General Science: Will cover elementary Knowledge & understanding of science including matters of everyday observation and experiences, basic laws of science, questions pertaining to environmental factors, natural resources, food crops, biosphere, human diseases, flora and fauna, national parks and wildlife of Uttarakhand will also be included.

Current events: Day to day happenings in India and around the world, which will also include significant events including sports.

be on broad understanding of social, economic and

candidate should be aware of the Freedom Movement, Growth of Nationalism and attainment of Independence.

Indian Polity (Post Independence): Questions will test Knowledge of country's political system including Panchayati Raj and Community Development.

Geography and Indian Economy: Only general understanding of the subject will be expected.

Culture and Traditions of Uttarakhand: The candidate should be aware of the culture and traditions, especially of tribes of Uttarakhand.

Revenue Police and special administrative system of Uttarakhand:

Power and functions of Patwaries, Kanoongos and Naib Tahsildars etc. Panchayati Raj system, Van-Panchayat System. Candidates should be aware of types of forests, rotation of crops, cultural festivals, prominent holy places, glaciers and mountains, natural resources and calamities, rivers & lakes as well as prominent personalities of Uttarakhand.

Paper- II Law

Time 1½ hrs

M.M 100

Total no. of questions 100 law (Objective Type)

It will cover the following with the number of questions indicated as under

Topics	No. of questions
1. The Indian Penal Code	35
2. The Indian Evidence Act	25
3. The Code of Criminal Procedure	25
4. The Uttarakhand Police Act, 2007	15

Total: 100

The Indian Penal Code, 1860:

- i) General Exceptions
- ii) Joint and Constructive Liability
- iii) Abetment
- iv) Criminal Conspiracy
- v) Offences against Public Tranquility

ody: Culpable homicide and murder including causing and grievous hurt; wrongful restraint and wrongful and assault; kidnapping and abduction.

- vii) Offence against women: sexual offences; offences relating to marriage, cruelty by husband or relatives of husband; insult to modesty of a woman and dowry death.
- viii) Offences against property: Theft, Extortion, Dacoity, Robbery, Criminal Misappropriation, Cheating, Mischief and Criminal Trespass.
- ix) Attempts to commit offences.

The Indian Evidence Act:

- i) Relevancy of facts: Definitions, Relevancy of facts, Admission & Confession, Dying Declaration, Opinion of third persons when relevant.
- ii) Facts which need not be proved: Oral and documentary evidence, Exclusion of oral by documentary evidence, Public documents and presumption as to documents.
- iii) Production and effect of evidence: Burden of proof, Estoppel, Witnesses including their examination.

Criminal Procedure Code, 1973

Constitution, Powers and jurisdictions of Criminal Courts; Arrests, Power to compel appearance of persons and production of things; Maintenance of public order and public tranquility; Initiation and commencement of proceedings before Magistrate; Framing of charges; Trial of cases; Judgment; Evidence in enquiries and trials; Bail and Bonds; Reference, Revision and Appeal.

The Uttarakhand Police Act, 2007

- i) Powers, functions and duties of various police officers under the aforesaid Police Act.
- ii) Duties of Officer-In-Charge of police station regarding reports made at police stations; Investigation, Arrest, Bail and Custody and Execution of processes.
- iii) Powers, functions and duties of Public Prosecutors and their sub-ordinates.



PDF Complete
Your Special Edition
complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

For Main Examination

- I General Knowledge

Times: 3 Hrs

M.M. 100 Marks

The following topics will be included-

General Science- Will cover elementary knowledge & understanding of science including matters of everyday observation and experiences, basic laws of science, Conventional and non-conventional energy resources, human diseases: source and type of diseases, communicable & non communicable diseases prevention and control measures of born diseases such as AIDS, TB, Jaundice, Typhoid etc.

Natural Resources: Water, Soil Minerals, Flora, Fauna, Farming systems in Uttarakhand and other Natural and Energy resources of the State.

Environment: Global warming, Green house effect, Natural disasters, Pollution, Wildlife sanctuaries in Uttarakhand and Different environmental movements in the Uttarakhand state (such as Chipko, Nadi Bachao Andolan etc.)

Current Events: National and International, including sports.

History Of India & Indian National Movement: Indus valley civilization, Vedic Age, Ashoka, Harsh Vardhan, Delhi Sultanate, Mughal Period, Entry of European powers, Revolt of 1857, Establishment of Indian National congress, Non-co-operation Movement, Civil disobedience movement Quit India Movement, Indian Independence, Role of Uttarakhand in Freedom Struggle, Cultural History of Uttarakhand, Fairs, Festivals, Religious Practices, Holy places and shrines.

Geography: Rotation and revolution of the earth, mountains and rivers, Climate and vegetation zones of the world, relief and drainage systems, climate, vegetation and irrigation systems of India, including major irrigation projects.

India Polity (Post Independence)

- Integration of princely states, reorganization of states, regional aspirations and formation of new states (With special reference to Uttarakhand)
- Framing of the Constitution of India, aims and objectives, democracy, socialism, Secularism and National integration.

Functioning of Government: Organs of government and their functioning; Central, State and Local levels (including tribal, panchayat patwari); Centre-state relations; Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of state policy.

- **Functioning of Indian Democracy:** Universal Adult Franchise, Public Opinion, Elections, Political parties and Pressure groups (with reference to Uttarakhand).
- **Indian Economy:** Basic features of Indian economy, population, agriculture and allied activities, industry, Infrastructure, Financial sector, labor and employment, Economic planning and Economic reforms since 1991, W.T.O. Development of I.T., Ayurved, Tourism and Vipran in the Uttarakhand. New development schemes of the State

Computer

Basic Knowledge of computer and its application and cyber Crimes.

Paper-II General Hindi (सामान्य हिन्दी)

समय:- 3 घण्टे	पूर्णांक-100		
क्र.सं.	वि.अं.	अंक	विभाजन
1.	निबन्ध (लगभग 300 शब्दों में)	15	
2.	अपठित गद्यांश- (क) गद्यांश का भावार्थ	03	
	(ख) रेखांकित वाक्य-बन्धों का आशय	05	
	(ग) गद्यांश का सटीक शीर्षक	02	
3.	संक्षेपण/सारांश (दिये गये अंश का सार)	05	
4.	टिप्पण/प्रारूपण	05	
5.	पर्यायवाची/विलोम	05	
6.	समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द/विराम चिह्नों की शुद्धि	05	
7.	हिन्दी से अंग्रेजी/अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद	10	
8.	शब्द समूहों के लिए एक शब्द	05	
9.	उपसर्ग/प्रत्यय	05	
10.	अंग्रेजी की विधिक पारिभाषिक शब्दावली का हिन्दी रूपान्तरण	05	

	/अ ढुद्ध वाक्यों को ढुद्ध करना	05
	अर्थ एवं वाक्य प्रयोग	05
13.	कायालया पत्र लखन . ढासनादे ढ, कार्यालय आदे ढ, परिपत्र, अनुस्मरण, अधिसूचना, कार्यालय-ज्ञापन, पृ ठांकन, प्रेस विज्ञप्ति, ई-मेल द्वारा प्रपत्र प्रे ढण।	10
14.	कम्प्यूटर का कार्यालयी प्रयोग	10

Paper III (Law-I)

Law-I (Criminal Law and Procedure with police Act)

Times: 3 Hrs

Max Marks : 100

1. The syllabus of this paper shall be divided in three parts viz, Part 'A', 'B' and 'C' as demarcated below.
2. Ten questions in all shall be set, out of which the first question [Consisting of five sub-questions to be selected from the entire syllabus and requiring short answers] shall be compulsory. Each such short-answer type question shall carry 4 marks and will be answered in about 100 words.
3. Of the remaining nine questions, three questions from each part shall be set. The candidate shall be required to attempt at least one question from each part, namely Part 'A' 'B' and 'C'
4. All questions shall carry equal marks i.e. 20 Marks each. **In all five questions are to be attempted.**

Part- A

The Indian penal Code, 1860 :

- i) General Exceptions
- ii) Joint and Constructive Liability.
- iii) Abetment.
- iv) Criminal Conspiracy.

quility.

- body: culpable homicide and murder including causing death by negligence; Hurt and grievous hurt; Wrongful restraint and Wrongful confinement; Criminal force and assault; Kidnapping and Abduction.
- vii) Offence against Women: Sexual offences; Offences relating to marriage, Cruelty by husband or relatives of husband; insult to modesty of a woman and Dowry death.
 - viii) Offences against Property: Theft, Extortion, Dacoity, Robbery, Criminal misappropriation, cheating, Mischief and Criminal Trespass.
 - ix) Attempts to commit offences.

Part- B

Criminal Procedure code, 1973

Constitution, powers and jurisdictions of criminal courts; arrests, power to compel appearance of persons and production of things; Maintenance of public order and public tranquility; Initiation and commencement of proceeding before Magistrate; Framing of charges; Trial of cases; Judgment; Evidence in enquiries and trials; Bail and Bonds; Reference, Revision and Appeal.

Part- C

The Uttarakhand Police Act, 2007

- i) Powers, functions and duties of various police officers under the Police Act.
- ii) Duties of Officer-In-Charge of Police Station regarding reports made at police stations; Investigation, Arrest, Bail and Custody and Execution of processes.
- iii) Powers, functions and duties of Public Prosecutors and their sub-ordinates.

Max Marks : 100

1. The syllabus of this paper shall be divided in three parts viz, Part 'A', 'B' and 'C' as demarcated below.
2. Ten questions in all shall be set, out of which the first question [Consisting of five sub-questions to be selected from the entire syllabus and requiring short answers] shall be compulsory. Each such short-answer type question shall carry 4 marks and will be answered in about 100 words.
3. Of the remaining nine questions, three questions from each part shall be set. The candidate shall be required to attempt at least one question from each part, namely Part 'A' 'B' and 'C'
4. All questions shall carry equal marks i.e. 20 Marks each. **In all five questions are to be attempted.**

Part A : **Relevancy of facts:** Definitions, Relevancy of facts, Admission & Confession, Dying Declaration, Opinion of third persons when relevant.

Part B : **Facts which need not be proved:** Oral and documentary evidence, Exclusion of oral by documentary evidence, Public documents and presumptions as to documents.

Part C : **Production and effect of Evidence:** Burden of proof, Estoppel, Witnesses including their examination.

Personality Test

50 Marks

Appendix-3

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील
..... नगर जिला उत्तराखण्ड की जाति के
व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदे। 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)
संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदे। 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका
परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर जिला
में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :
मुहर :

हस्ताक्षर
पूरा नाम
पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य की
..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी
है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना
संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित
नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम
..... तहसील नगर जिला में सामान्यतया
रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
पूरा नाम
पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER

No.....

Dated

HANDICAP CERTIFICATE IN ACCORDANCE WITH THE G.O. No. 7/4/1971 KARMIK -2 (U.P.)

DATED MAY 20,1978

We Examined Sri/Smt./Km. aged about
..... year on of/ Daughter of/Wife ofresident
of whose Signature/ L.T.I./R.T.I., is given below and certify that he/she
is a case of We certify that he/she is permanently
physically handicapped person.

Signature of Candidate

Orthopaedic
Surgeon (Member)
Eye Specialist (Member)
Chief Medical Officer (President)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
गसनादे 1 संख्या 4 / 23 / 1982-2 / 1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
तहसीलनगर जिलाउत्तर प्रदेश
लोक सेवा (गारिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए
आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है
और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) पुत्र/पुत्री/
पौत्र/अविवाहित पौत्री उपयुक्त अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त
श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..... के आश्रित है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
/ 1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1986
नियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है।
प्रमाण-पत्र के फार्म-1 से 4

फार्म-1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देा की ओर से अन्तर्रााीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की रााीय फेडरेाेन/रााीय एसोसिएाेन का नाम
राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुाल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री निवासी (पूरा पता)
.....ने दिनांकसे दिनांकतक (स्थान का नाम) में आयोजित
.....क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देा की ओर से भाग
लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान
प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र रााीय फेडरेाेन/रााीय एसोसिएाेन/(यहाँ संस्था का नाम दिया
जाये).....में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पद
..... संस्था का नाम
..... मुहर

नोट :- यह प्रमाण-पत्र नेाेनल फेडरेाेन/नेाेनल एसोसिएाेन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये
गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म-2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेा की ओर से रााीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) (सम्बन्धित खेल की प्रदेाीय एसोसिएाेन का नाम)
राज्य सरकार की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुाल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री निवासी
(पूरा पता) ने दिनांकसे दिनांक
तकमें (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता
(टूर्नामेन्ट का स्थान)आयोजित रााीय
में (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेा की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त
किया गया। यह प्रमाण-पत्र (प्रदेाीय संघ का नाम) में
उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पद
..... संस्था का नाम
..... मुहर

नोट:- यह प्रमाण-पत्र प्रदेाीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म-3

वि विद्यालय का नाम..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर
नियुक्ति के कु ल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री.....निवासी (पूरा पता).....
वि विद्यालय की कक्षा(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्वि विद्यालय
(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में वि विद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के
द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया गया। यह प्र माण पत्र डीन
ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इं चार्ज खेलकूदवि विद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड
के आधार पर दिया गया।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक

नाम.....

पद नाम

संस्था का नाम.....

मुहर

नोट :- यह प्रमाण-पत्र वि विद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इं चार्ज खेलकूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से
हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म-4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से रा ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के
लिये) डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/निदेशक, िक्षा उत्तराखण्डराज्य
स्तर की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कु ल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्रीनिवासी (पूरा पता).....
...मेंस्कूल में कक्षा.....(स्थान का नाम)
में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम)
प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्कूल की ओर से भाग लिया।
उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया। यह प्र माण
पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/िक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक

नाम.....

पद नाम

संस्था का नाम.....

मुहर

नोट:- यह प्रमाण पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उप निदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक
इन्स्ट्रक्शन/िक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

(Vikram Singh Negi)
Secretary

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग लोक सेवा आयोग ल कांगड़ी, हरिद्वार

विज्ञापन संख्या : (ए-1/ई-1/2009-10)

विज्ञापन की तिथि: 19 सितम्बर, 2009

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2009

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि : 14 अक्टूबर, 2009

विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट www.gov. ua.nic.in/ukpsc पर भी देखा जा सकता है।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर नियुक्ति की संस्तुति राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए जिला हरिद्वार के विभिन्न केन्द्रों पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पद हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की दशा में आयोग विज्ञापन के "परिणित-1" में उल्लिखित तहरों में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा का आयोजन कर सकता है। आयोग द्वारा निर्धारित प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा के केन्द्रों तथा परीक्षा की तिथि की सूचना अभ्यर्थियों को बाद में उनके प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केन्द्रों के आवंटन में परिवर्तन भी किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस परीक्षा में ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र व्यवस्था लागू है तथा अभ्यर्थी इस विज्ञापन के क्रम सं0-14(प) व 16 में उल्लिखित आवश्यक जुल्क इस विज्ञापन के क्रम संख्या-16 में उल्लिखित किसी विनिर्दिष्ट डाकघर में अदा कर ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

इस विज्ञापन के "परिणित-2" में प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम का उल्लेख किया गया है।

2. रिक्तियों का विवरण :

रिक्तियों की कुल संख्या	रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण			
	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
38	21	11	—	06

राज्य [सरकार](#) द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।

होगी ।

5. अनिवार्य ढैक्षिक अर्हताएं :-

सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त वि विद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।

6. अधिमान्नी अर्हता :- अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने : (1) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ग की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।

7. राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो ; या (ख) तिब्बती ारणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश के न्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो; परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना ाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले ।

परन्तु यह भी कि यदि को ई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ग से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ग की अवधि के आगे सेवा में इस ार्त रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस ार्त के साथ अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

8. चरित्र :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या

सी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

9. पवाहक प्रार्थना :— सपा नैतिक पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

10. पारीरिक स्वस्थता :— किसी अभ्यर्थी को किसी सेवा पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक व पारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे पारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे चिकित्सा बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जायगी।

11. आयु सीमा :— सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, जिसमें सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, 21 वर्ष की होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात् अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2009 को 21 वर्ष की आयु अवधि पूरी करनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1974 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1988 के बाद का नहीं होना चाहिए। 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य जिस वर्ष आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाए उस कलेण्डर वर्ष के जुलाई मास के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

परन्तु यह और कि उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दृष्टि में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

12. उच्चतम आयु सीमा में छूट:

(क) उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(गणनादेश संख्या: 1399/ग(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005)

(ख) उत्तराखण्ड के पारीरिक रूप से विकलांग एवं उत्तराखण्ड के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

कमी इन प्राप्त/अल्पकालीन सेवा कमी इन प्राप्त
आधकारा/पूव सानका स सम्बान्धत ऐसे कार्मिक अधिकारी जिन्होंने थल/जल/वायु
सेना में कम से कम 05 वर्ग की सेवा की हो, को उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ग की
छूट अनुमन्य होगी। यह छूट उन अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो आवेदन पत्र
जमा करने की अंतिम तिथि से छः माह के अवधि के भीतर कार्यमुक्त होने वाले हों।
यह छूट ऐसे पूर्व सैनिकों को अनुमन्य नहीं होगी –

(1) जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों,

(2) जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जाने वाली पारिरीक आयोग्यता
अथवा अक्षमता के कारण सेवा मुक्त हुए हों,

(पासनादे 1 संख्या: 17/2/1981-कार्मिक-2, दिनांक 28 फरवरी, 1985)

(घ) राष्ट्रीय अथवा अन्तराष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिये
उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(शासनादेश- 22/21/1983-कार्मिक-2, दिनांक 28.11.1985)

(ङ) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन से कम जेल जाने वाले
आन्दोलनकारियों के लिए उच्चतम आयु सीमा अधिकतम 50 वर्ग होगी।

(पासनादे 1 संख्या: 1270/तीस-2 /2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004 तथा
पासनादे 1 संख्या: 776/न(4)26/उ0आन्दो0/2006-08 (गृह अनुभाग-4), दिनांक
22 अक्टूबर, 2008)

नोट :- अभ्यर्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में अपनी श्रेणियाँ
अवय अंकित की जानी चाहिए, अन्यथा आयु सीमा में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

13. आरक्षण :-

(1) ऊर्ध्व आरक्षण:- उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनुसूचित
जनजाति तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त
राज्य सरकार के पासनादे 1 के अनुसार अनुमन्य होगा।

(पासनादे 1 संख्या: 1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई,
2001 तथा पासनादे 1 संख्या: 254/कार्मिक-2/2002, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002)

(2) क्षैतिज आरक्षण:-

रूप से विकलांग, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम
ण्ड के पूर्व सैनिकों को क्क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड

[उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पारोरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (यथा संशोधित) के प्राविधानों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आसनादेयों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के पारोरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अनुमन्य होगा जब सम्बन्धित पद आसन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी श्रेणी के लिए चिन्हित होगा।

(ख) उत्तराखण्ड के विविध खिलाड़ियों के लिए क्क्षैतिज आरक्षण आसनादेय संख्या: 2461/XXX(2)/2006, दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 व आसनादेय संख्या: 136/XXX(2)/2009, दिनांक 27 फरवरी, 2009 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

(ग) उत्तराखण्ड की महिलाओं को क्क्षैतिज आरक्षण आसनादेय संख्या: 1144/कार्मिक-2-2001-53(1) /2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001, आसनादेय संख्या: 589/कार्मिक-2/2002, दिनांक 21 जुलाई, 2002 तथा आसनादेय संख्या: 1966/XXX (2)/2006, दिनांक 24 जुलाई, 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

(घ) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन से कम जेल जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों तथा 07 दिन से अधिक जेल जाने वाले या आन्दोलन के दौरान घायल उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के पात्र आश्रित को आसनादेय संख्या: 1270/तीस-2/2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004, आसनादेय संख्या: 4020/XX (4)-7/उ0आन्दो/2006, दिनांक 08 नवम्बर, 2006 तथा आसनादेय संख्या: 776/XX (4)/26/उ0आन्दो/2006-08 (गृह अनुभाग-4), दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। यह आरक्षण सुविधा केवल 10 अगस्त, 2011 तक के लिए उपलब्ध होगी।

नोट :-(1) आसनादेयों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य

- कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य
- (2) आसनाद का नवानतम् प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, उत्तराखण्ड के पारिरीक रूप से विकलांगों के लिए 03%, उत्तराखण्ड के विरिीट खिलाड़ियों के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पूर्व सैनिक, पारिरीक रूप से विकलांग, विरिीट खिलाड़ी, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान समझे जाएंगे।
- (4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले उत्तराखण्ड के सभी अभ्यर्थी अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में अपनी 'श्रेणी' का अवय उल्लेख करें, अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- (5) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।
- (6) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्राप्त करें तथा उसे मुख्य लिखित परीक्षा के उस 'आवेदन पत्र', जो आयोग द्वारा बाद में पात्र अभ्यर्थियों को प्रेषित किए जाएंगे, के साथ संलग्न कर आयोग को प्रस्तुत करें। कुछ निर्धारित प्रारूप इस विज्ञापन के परिीट-3 में उल्लिखित हैं। यदि किसी पथ-पत्र की भी आवश्यकता हो तो मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा विधिवत् प्रमाणित पथ-पत्र भी आयोग को प्रस्तुत करें।

अभ्यर्थी से ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की कीमत सहित जुल्क लिया जाएगा, जिसका विवरण ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के लिफाफे पर मुद्रित है। अनारक्षित (सामान्य)/ उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी व अन्य राज्य के सभी अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित जुल्क रू0 160/- (परीक्षा जुल्क रू0 150 + डाक विभाग जुल्क रू0 10) तथा उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ पारिारिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित जुल्क रू0 70/- (परीक्षा जुल्क रू0 60 + डाक विभाग जुल्क रू0 10) है। उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक श्रेणी/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/विािट खिलाड़ी/महिला/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी तथा उनके पात्र आश्रित जिस वर्ग या श्रेणी, यथा— अनारक्षित या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी, के होंगे उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित जुल्क जमा करना होगा।

नोट :- अभ्यर्थियों द्वारा ट्रेजरी चालान या बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी माध्यम से कोई जुल्क अदा नहीं किया जाना है।

(2) मुख्य परीक्षा हेतु :- प्रारम्भिक परीक्षा (स्क्रीनिंग) परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोित अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु भी अतिरिक्त जुल्क अदा किया जाना होगा। अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों/ उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों व अन्य राज्य के सभी अभ्यर्थियों के लिए यह जुल्क रू0 200/- होगा (केवल मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने की दा में मात्र रू0 50/-) तथा उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यह जुल्क रू0 80/- होगा (केवल मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने की दा में मात्र रू0 20/-)। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत अभ्यर्थी मुख्यतः जिस वर्ग/श्रेणी के होंगे, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित अतिरिक्त जुल्क देना होगा। यह जुल्क उन्हें मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर अदा करना होगा। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए यह जुल्क अभ्यर्थियों द्वारा “सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार” को हरिद्वार में देय एकाउन्ट पेयी बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा।

15. आवेदन-पत्र का स्वरूप :- इस स्तर पर आवेदन-पत्र केवल प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा के लिए आमंत्रित किये जा रहे हैं। मुख्य परीक्षा के लिये सफल घोित अभ्यर्थियों

की दृष्टि में आयोग द्वारा सीधे मुख्य परीक्षा का आवेदकों को विस्तृत आवेदन-पत्र, जो उन्हें आयोग द्वारा भेजा जायगा, पर पुनः आवेदन करना होगा।

16. आवेदन कैसे करें :- परीक्षा हेतु निर्देशों सहित ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्र "पी0जी0" (कृष्ण) सीरीज (अनारक्षित अभ्यर्थियों, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों व अन्य राज्यों के सभी अभ्यर्थियों के लिए लागू) के लिए रू0 160/- तथा "पी0आर0" (कृष्ण) सीरीज के (उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पारंपरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए लागू) के लिए रू0 70/- निम्नलिखित स्थानों पर स्थित डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक नकद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/विधवा/खिलाड़ी/महिला/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी तथा उनके पात्र आश्रित अपने मुख्य वर्ग/श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। ओ0एम0आर0 आवेदन पत्रों को भरने से पहले अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ संलग्न निर्देशों को अवश्य पढ़ें।

डाकघरों की सूची:-

(1) अल्मोड़ा- अल्मोड़ा-मुख्य डाकघर, रानीखेत-प्रधान डाकघर, भिकियासैण, द्वाराहाट, मासी।

(2) बागे वर-बागे वर-मुख्य डाकघर, बैजनाथ, कपकोट, कांडा।

(3) चमोली-गोपे वर-मुख्य डाकघर, जो पीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग।

(4) चम्पावत-चम्पावत-मुख्य डाकघर, लोहाघाट, देवीधूरा, टनकपुर।

(5) देहरादून-देहरादून- (जी.पी.ओ.), मसूरी, ऋषिके, विकास नगर, प्रेमनगर, राजपुर, डोईवाला, चकराता।

(6) हरिद्वार-हरिद्वार-मुख्य डाकघर, रुड़की-मुख्य डाकघर, लक्सर, बी.एच.ई.एल।

(7) नैनीताल-नैनीताल-मुख्य डाकघर, रामनगर, हल्द्वानी-मुख्य डाकघर, ओखलकांडा।

(8) गढ़वाल-पौड़ी-मुख्य डाकघर, कोटद्वार-मुख्य डाकघर, लैन्सडाउन-मुख्य डाकघर, श्रीनगर, धूमाकोट।

- (10) रुद्रप्रयाग—रुद्रप्रयाग—मुख्य डाकघर, ऊखीमठ।
- (11) टिहरी गढ़वाल—न्यू टिहरी—मुख्य डाकघर, नरेन्द्र नगर, घनसाली।
- (12) ऊधम सिंह नगर—रुद्रपुर—मुख्य डाकघर, पन्तनगर, का पीपुर, खटीमा।
- (13) उत्तरका पी—उत्तरका पी—मुख्य डाकघर, बड़कोट, पुरोला।

17. ओ0एम0आर0 आवेदन—पत्र भरने हेतु कुछ अनुदे I :-

- (1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हों कि वे पात्रता सम्बन्धी सभी शर्तें पूरी करते हैं।
- (2) आवेदन पत्र अभ्यर्थियों द्वारा अपने हाथों से भरा जाना चाहिए। चूंकि ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की संगणक (कम्प्यूटर) मीनों द्वारा जाँच की जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र के रख-रखाव और उसे भरने में पूर्ण सावधानी बरतें। उन्हें गोलों को काला करने के लिए केवल एच0बी0 पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें नीले या काले पेन/बॉल पेन का प्रयोग करना चाहिए।
- (3) किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो ओ0एम0आर0 आवेदन—पत्र के सम्बन्धित स्तम्भ में शब्दों में अपनी श्रेणी/श्रेणियों (एक या एक से अधिक जो भी हो) अवश्य अंकित करें तथा सम्बन्धित गोलों को एच0बी0 पेन्सिल से पूरी तरह अवय काला करें, अन्यथा वे अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- (4) अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ प्राप्त निर्दे I पुस्तिका में दिए गए निर्दे Iों को पढ़ लें तथा उसके अनुसार ही ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र को भरें।
- (5) अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के सभी कॉलम पूर्ण रूप से भरें। आवेदन—पत्र में नियत स्थान पर Iब्दों व अंकों में लिखकर एच0बी0 पेंसिल से गोला अवय काला करें। यदि ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के कॉलम—12 में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों तथा उनके पात्र आश्रितों से सम्बन्धित श्रेणी हेतु स्थान उपलब्ध न हो, तो इस श्रेणी के अभ्यर्थी “उ0म0” (उत्तराखण्ड महिला) श्रेणी के लिए दिए गए

श्रेणी का अवयव उल्लेख करते हुए "ओएमओ" टिकट नीचे गोला बनाकर उसे एचओबीओ पेंसिल से अवयव काला कर।

(6) ओएमओआरओ आवेदन-पत्र के कॉलम-4 में स्पष्ट रूप में आवेदित परीक्षा का नाम 'ओपीओ परीक्षा-2009' अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे तथा आवेदित पद में 'अन्य (Others)' के सम्मुख बने गोले को काला करेंगे। यदि 'अन्य (Others)' श्रेणी का उल्लेख ओएमओआरओ आवेदन पत्र में नहीं है तो इस दस्तावेज़ में, ओएमओआरओ आवेदन पत्र में दिए गए अन्तिम श्रेणी के गोले को काला करेंगे।

नोट :- (1) अभ्यर्थी द्वारा ओएमओआरओ आवेदन पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विविद्यालय से प्राप्त विधिवत विषय में डिग्री अवयव धारित करना चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) अभ्यर्थी अपने ओएमओआरओ आवेदन पत्र की एक फोटो प्रति करवाकर अपने पास अवयव रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले समस्त पत्राचार में उक्त ओएमओआरओ आवेदन पत्र संख्या का उल्लेख अवयव करें।

18. संलग्नक :

(1) अभ्यर्थी ओएमओआरओ आवेदन-पत्र के निर्धारित स्थान पर अनिवार्य रूप से अपना नवीनतम स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चस्पा करें तथा फोटोग्राफ के नीचे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर भी अवयव करें, अन्यथा उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ओएमओआरओ आवेदन पत्र पर चस्पा किए गए फोटोग्राफ के समरूप स्वप्रमाणित फोटोग्राफ की एक प्रति भी अपने पास अवयव रखें तथा इसका उपयोग मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र तथा उपस्थिति पत्रक आदि के लिए बाद में किया जाएगा। यदि ओएमओआरओ आवेदन पत्र पर चस्पा किए गए फोटोग्राफ तथा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति पत्रक के लिए प्रयुक्त फोटोग्राफ में समरूपता नहीं पायी जाती है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(2) अभ्यर्थी अपने ओएमओआरओ आवेदन पत्र के साथ दिए गए विण्डो लिफाफे पर रू० 30/- का डाक टिकट अवयव लगायें तथा इस लिफाफे एवं विधिवत टिकट लगा स्वपता लिखित एक पोस्ट कार्ड ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

के विभिन्न कॉलम में अभ्यर्थियों द्वारा दायी
0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र

संलग्न नहीं करना है।

19. आवेदन-पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि :- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में "सचिव,उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404" को दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 को अपरान्ह 06.00 बजे तक अथवा उससे पूर्व रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से (हाथों-हाथ) अवय पहुँच जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अन्तिम तिथि व समय के बाद प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

20. मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के विषय में कुछ सूचनाएं :-

(1) आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित किए जाने की दायी में इस परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व साक्षात्कार के प्राप्तांक में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

(2) अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर परीक्षा में बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है। आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित न किए जाने की दायी में अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक बाद में आवंटित किए जाएंगे।

(3) परीक्षा हेतु तिथि तथा केन्द्र आयोग द्वारा बाद में निर्धारित किए जाएंगे।

(4) केवल ऐसे अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किए जाएंगे जो मुख्य (लिखित) परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा सफल घोषित होंगे।

(5) मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि के भीतर आयोग द्वारा मुख्य (लिखित) परीक्षा के आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित करते हुए सूचित किया जाएगा।

(6) अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य (लिखित) परीक्षा के आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु समस्त आवयक स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थियों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र आदि संलग्न नहीं किए जाते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(मौखिक परीक्षा) के पूर्व निर्धारित आवेदन पत्र (जो या जाएगा) भरना होगा।

(8) साक्षात्कार के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों को मूल प्रमाण पत्र से सत्यापित किया जाएगा तथा इसी समय अभ्यर्थी को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(9) केन्द्र या राज्य सरकार/लोक प्रति ठान के अधीन कार्यरत् अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से पूर्व या साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक द्वारा निर्गत “अनापत्ति प्रमाण पत्र” मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(10) ऐसी भर्ती जहाँ सेवा नियमावली में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का प्रावधान हो, मुख्य परीक्षा के आधार पर सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा।

(11) प्र न पत्रों का निर्धारण हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जाएगा तथा अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका तथा प्र न पत्रों में दिए गये निर्देशों के अधीन हिन्दी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में (भाषा सम्बन्धी प्र न पत्र को छोड़कर) प्र नों का उत्तर दे सकते हैं।

21. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेष्टा :-

(1) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने के अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक हान का दायित्व आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

(3) निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दायित्व में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(4) मूल आवेदन पत्र में दायित्व गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दायित्व में अनुमन्य नहीं होगा।

(5) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्र व्यवहार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(6) अभ्यर्थियों द्वारा अपने शैक्षिक योग्यता के दावे के समर्थन में किसी राजपत्रित अधिकारी या उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, के द्वारा अभिप्रमाणित अंक पत्र, प्रमाण पत्र, डिग्री व आरक्षण आदि की छायाप्रतियाँ मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने होंगे। यदि वे अपने दावों के समर्थन में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न नहीं करते हैं तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(7) एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र या एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों से सम्बन्धित आवेदन पत्र प्राप्त होने की दायित्व में सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जाने योग्य होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए अपने नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है तो उसके सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा उनका अभ्यर्थन भी रद्द कर दिया जाएगा।

(8) अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दायित्व में विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं हैं, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद, सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

अंकित जन्मतिथि ही मान्य हो गी। अभ्यर्थी को मुख्य प्रमाण पत्र हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना आनवाय हागा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(10) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(11) आवेदन पत्र क्रय करने के पश्चात् इसका मूल्य वापस नहीं किया जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा चाहे उसका उपयोग किया गया हो अथवा नहीं।

(12) अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी के उत्तर लिखने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जाएगा; परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र में 20 मिनट का अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा।

(13) अभ्यर्थी परम्परागत प्रकार की परीक्षा में नान-प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालिए पाकेट कैलकुलेटर का प्रयोग इस प्रतिबन्ध के अधीन कर सकते हैं कि सम्बन्धित प्रश्न पत्र के निर्देशों/नोट में भी इसके प्रयोग की अनुमति का उल्लेख हो। यह भी ध्यान किया जाना महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों के उत्तर हेतु कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

(14) गलत उत्तरों के लिए दण्ड:- वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जाएगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गये अंकों का एक चौथाई (0.25) दण्ड के रूप में काटा जाएगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी

लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया

- (3) याद अभ्यथा द्वारा कोई प्र न हल नहीं किया जाता है अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्र न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।
- (15) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्र न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्र न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- (16) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा मोबाइल फोन, पेजर्स अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेहों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित किसी प्रकार प्रतिबन्धित सामग्री न लायें; क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
- (17) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:- कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
- (18) परीक्षा भवन में आचरण :- कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।
- (19) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति को

परिवर्तन या अन्यथा फेर बदल नहीं करें तथा न ही प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

एक अभ्यर्थी जो निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जा चुका हो या दोषी घोषित किया जाएगा :-

(1) किसी भी प्रकार से अपने अभ्यर्थन के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा (2) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा (3) किसी अन्य व्यक्ति से छल रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा (4) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं, जिनमें फेरबदल किया गया है, अथवा (5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गई है, अथवा (6) अपने चयन के लिए अभ्यर्थन हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा (7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा (8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हो, जो अलील भाग में या अभद्र आचार की हो, अथवा (9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार दुर्व्यहार किया हो, अथवा (10) परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो, या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, अथवा (11) परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यन्त्र लाना मना है, अथवा (12) पूर्वोक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे -

(क) आयोग उस चयन से जिसका वह अभ्यर्थी है, अयोग्य ठहरा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है-

- (1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से
- (2) राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से

सरकार/सरकारी प्रति ठान के अन्तर्गत पहले से ही है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनक कार्यवाही की जा सकती है।

(20) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवयव किया जाना चाहिए।

(21) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट-1

प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा के परीक्षा केन्द्रों का विवरण :-

क्रम संख्या	नगर (जिला)	केन्द्र कोड
1.	हल्द्वानी (नैनीताल)	01
2.	हरिद्वार (हरिद्वार)	02
3.	देहरादून (देहरादून)	03

परिशिष्ट-2

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा की परीक्षा योजना:

1. प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा : (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
2. मुख्य परीक्षा : (अ) - (लिखित परीक्षा)
- : (ब) - (व्यक्तित्व परीक्षा)/साक्षात्कार

1. प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा :-

प्रश्न-पत्र	विवरण	अधिकतम अंक	समय (घण्टे)	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा का स्तर

		100	1.30	100	सामान्य
		100	1.30	100	विधि स्नातक
	कुल अंक	200			

नोट :- (1) परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर आयोग प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा आयोजित कर सकता है।

(2) मुख्य परीक्षा में प्रवे I के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों को अन्तिम योग्यता क्रम को निर्धारित करने के लिए मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के साथ नहीं जोड़ा जायेगा।

2. मुख्य परीक्षा :- (अ) लिखित परीक्षा

प्र न-पत्र संख्या	वि ाय	अधिकतम् अंक	समय घण्टे	प्र नों की संख्या	परीक्षा का स्तर	टिप्पणी
I	सामान्य अध्ययन	100	3.00	10	सामान्य	
II	सामान्य हिन्दी	100	3.00	14	हाईस्कूल	न्यूनतम् 35 अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे।
III	Law-I (Criminal Law and procedure With Police Act)	100	3.00	10	विधि स्नातक	
IV	Law-II Evidence Act	100	3.00	10	विधि स्नातक	
	कुल अंक	400				

नोट :- (1) मुख्य परीक्षा (लिखित) में आयोग द्वारा निर्धारित अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही व्यक्तित्व परीक्षा/साक्षात्कार के लिए आहूत किया जायेगा।

(2) मुख्य परीक्षा में प्र नों का उत्तर (सामान्य हिन्दी के प्र न-पत्र को छोड़कर) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है।

(ब) व्यक्तित्व परीक्षा/साक्षात्कार : अधिकतम अंक-50 (कोई न्यूनतम् अर्हक अंक नहीं)

नोट :- (1) मुख्य लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होना आव यक है।

(2) मुख्य परीक्षा का कुल पूर्णांक 450 होगा।

Syllabus for Preliminary Examination

There will be two papers in preliminary examination.

Total number of questions 100 in General Knowledge (Objective Type)

The paper on General Knowledge will include the following topics, besides day to day happenings around India and the world. Candidates are expected to have general awareness about the following:

- (i) General Science
- (j) Current events: National and International
- (k) History of India
- (l) Indian National Movement and Indian Polity
- (m) Geography and Indian Economy
- (n) Art, Culture and Traditions of Uttarakhand
- (o) Revenue Police System and general administrative set up in Uttarakhand
- (p) Forest, Crops, Tribes, Mountains, Rivers of Uttarakhand.

Questions on General Science: Will cover elementary Knowledge & understanding of science including matters of everyday observation and experiences, basic laws of science, questions pertaining to environmental factors, natural resources, food crops, biosphere, human diseases, flora and fauna, national parks and wildlife of Uttarakhand will also be included.

Current events: Day to day happenings in India and around the world, which will also include significant events including sports.

History Of India: Emphasis should be on broad understanding of social, economic and political aspects of India.

Indian National Movement: The candidate should be aware of the Freedom Movement, Growth of Nationalism and attainment of Independence.

ence): Questions will test Knowledge of including Panchayati Raj and Community Development.

Geography and Indian Economy: Only general understanding of the subject will be expected.

Culture and Traditions of Uttarakhand: The candidate should be aware of the culture and traditions, especially of tribes of Uttarakhand.

Revenue Police and special administrative system of Uttarakhand:
 Power and functions of Patwaries, Kanoongos and Naib Tahsildars etc. Panchayati Raj system, Van-Panchayat System. Candidates should be aware of types of forests, rotation of crops, cultural festivals, prominent holy places, glaciers and mountains, natural resources and calamities, rivers & lakes as well as prominent personalities of Uttarakhand.

Paper- II Law

Time 1½ hrs

M.M 100

Total no. of questions 100 law (Objective Type)

It will cover the following with the number of questions indicated as under

Topics	No. of questions
1. The Indian Penal Code	35
2. The Indian Evidence Act	25
3. The Code of Criminal Procedure	25
4. The Uttarakhand Police Act, 2007	15

Total: 100

The Indian Penal Code, 1860:

- x) General Exceptions
- xi) Joint and Constructive Liability
- xii) Abetment

Tranquility

- xv) Offences against human body: Culpable homicide and murder including causing death by negligence; hurt and grievous hurt; wrongful restraint and wrongful confinement; criminal force and assault; kidnapping and abduction.
- xvi) Offence against women: sexual offences; offences relating to marriage, cruelty by husband or relatives of husband; insult to modesty of a women and dowry death.
- xvii) Offences against property: Theft, Extortion, Dacoity, Robbery, Criminal Misappropriation, Cheating, Mischief and Criminal Trespass.
- xviii) Attempts to commit offences.

The Indian Evidence Act:

- iv) Relevancy of facts: Definitions, Relevancy of facts, Admission & Confession, Dying Declaration, Opinion of third persons when relevant.
- v) Facts which need not be proved: Oral and documentary evidence, Exclusion of oral by documentary evidence, Public documents and presumption as to documents.
- vi) Production and effect of evidence: Burden of proof, Estoppel, Witnesses including their examination.

Criminal Procedure Code, 1973

Constitution, Powers and jurisdictions of Criminal Courts; Arrests, Power to compel appearance of persons and production of things; Maintenance of public order and public tranquility; Initiation and commencement of proceedings before Magistrate; Framing of charges;

vidence in enquiries and trials; Bail and
d Appeal.

The Uttarakhand Police Act, 2007

- iv) Powers, functions and duties of various police officers under the aforesaid Police Act.
- v) Duties of Officer-In-Charge of police station regarding reports made at police stations; Investigation, Arrest, Bail and Custody and Execution of processes.
- vi) Powers, functions and duties of Public Prosecutors and their sub-ordinates.

Syllabus for Main Examination

Paper- I General Knowledge

Times: 3 Hrs

M.M. 100 Marks

The following topics will be included-

General Science- Will cover elementary knowledge & understanding of science including matters of everyday observation and experiences, basic laws of science, Conventional and non-conventional energy resources, human diseases: source and type of diseases, communicable & non communicable diseases prevention and control measures of born diseases such as AIDS, TB, Jaundice, Typhoid etc.

Natural Resources: Water, Soil Minerals, Flora, Fauna, Farming systems in Uttarakhand and other Natural and Energy resources of the State.

Environment: Global warming, Green house effect, Natural disasters, Pollution, Wildlife sanctuaries in Uttarakhand and Different environmental movements in the Uttarakhand state (such as Chipko, Nadi Bachao Andolan etc.)

Current Events: National and International, including sports.

Historical Movement: Indus valley civilization, Aryan Invasion, Delhi Sultanate, Mughal Period, Entry of European powers, Revolt of 1857, Establishment of Indian National congress, Non-co-operation Movement, Civil disobedience movement Quit India Movement, Indian Independence, Role of Uttarakhand in Freedom Struggle, Cultural History of Uttarakhand, Fairs, Festivals, Religious Practices, Holy places and shrines.

Geography: Rotation and revolution of the earth, mountains and rivers, Climate and vegetation zones of the world, relief and drainage systems, climate, vegetation and irrigation systems of India, including major irrigation projects.

India Polity (Post Independence)

- Integration of princely states, reorganization of states, regional aspirations and formation of new states (With special reference to Uttarakhand)
- Framing of the Constitution of India, aims and objectives, democracy, socialism, Secularism and National integration.
- **Main features of the constitution:** Organs of government and their functioning; governance at the centre, state and local levels (including tribal, panchayat patwari system and van panchayat); Centre -state relations; Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of state policy.
- **Functioning of Indian Democracy:** Universal Adult Franchise, Public Opinion, Elections, Political parties and Pressure groups (with reference to Uttarakhand).
- **Indian Economy:** Basic features of Indian economy, population, agriculture and allied activities, industry, Infrastructure, Financial sector, labor and employment, Economic planning and Economic reforms since 1991, W.T.O. Development of I.T., Ayurved, Tourism and Vipran in the Uttarakhand. New development schemes of the State

Paper-II General Hindi

(सामान्य हिन्दी)

समय:-	3	घण्टे
पूर्णांक-100		
क्र.सं. वि.य विभाजन		अं क
1. निबन्ध (लगभ 300 शब्दों में)		15
2. अपठित गद्यांश- (क) गद्यांश का भावार्थ (ख) रेखांकित वाक्य-बन्धों का आशय (ग) गद्यांश का सटीक शीर्षक		03 05 02
3. <u>संक्षेपण/सारांश</u> (दिये गये अंश का सार)		05
4. <u>टिप्पण/प्रारूपण</u>		05
5. पर्यायवाची/विलोम		05
6. समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द/विराम चिन्हों की शुद्धि		05
7. हिन्दी से अंग्रेजी/अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद		10
8. शब्द समूहों के लिए एक शब्द		05
9. उपसर्ग/प्रत्यय		05
10. अंग्रेजी की विधिक पारिभाषिक शब्दावली का हिन्दी रूपान्तरण		05
11. अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना/अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना		05
12. मुहावरे व लोकोक्तियों का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग		05
13. कार्यालयी पत्र लेखन : आसनादे, कार्यालय आदे, परिपत्र, अनुस्मरण, अधिसूचना, कार्यालय-ज्ञापन, पृष्ठ ठांकन, प्रेस विज्ञप्ति, ई-मेल द्वारा प्रपत्र प्रेषण।		10
14. कम्प्यूटर का कार्यालयी प्रयोग		10

Paper III (Law-I)

5. The syllabus of this paper shall be divided in three parts viz, Part 'A', 'B' and 'C' as demarcated below.
6. Ten questions in all shall be set, out of which the first question [Consisting of five sub-questions to be selected from the entire syllabus and requiring short answers] shall be compulsory. Each such short-answer type question shall carry 4 marks and will be answered in about 100 words.
7. Of the remaining nine questions, three questions from each part shall be set. The candidate shall be required to attempt at least one question from each part, namely Part 'A' 'B' and 'C'
8. All questions shall carry equal marks i.e. 20 Marks each. **In all five questions are to be attempted.**

Part- A

The Indian penal Code, 1860 :

- x) General Exceptions
- xi) Joint and Constructive Liability.
- xii) Abetment.
- xiii) Criminal Conspiracy.
- xiv) Offences against Public tranquility.
- xv) Offences against human body: culpable homicide and murder including causing death by negligence; Hurt and grievous hurt; Wrongful restraint

t; Criminal force and assault; Kidnapping and

- xvi) Offence against Women: Sexual offences; Offences relating to marriage, Cruelty by husband or relatives of husband; insult to modesty of a woman and Dowry death.
- xvii) Offences against Property: Theft, Extortion, Dacoity, Robbery, Criminal misappropriation, cheating, Mischief and Criminal Trespass.
- xviii) Attempts to commit offences.

Part- B

Criminal Procedure code, 1973

Constitution, powers and jurisdictions of criminal courts; arrests, power to compel appearance of persons and production of things; Maintenance of public order and public tranquility; Initiation and commencement of proceeding before Magistrate; Framing of charges; Trial of cases; Judgment; Evidence in enquiries and trials; Bail and Bonds; Reference, Revision and Appeal.

Part- C

The Uttarakhand Police Act, 2007

- iv) Powers, functions and duties of various police officers under the Police Act.
- v) Duties of Officer-In-Charge of Police Station regarding reports made at police stations; Investigation, Arrest, Bail and Custody and Execution of processes.
- vi) Powers, functions and duties of Public Prosecutors and their subordinates.

5. The syllabus of this paper shall be divided in three parts viz, Part 'A', 'B' and 'C' as demarcated below.
6. Ten questions in all shall be set, out of which the first question [Consisting of five sub-questions to be selected from the entire syllabus and requiring short answers] shall be compulsory. Each such short-answer type question shall carry 4 marks and will be answered in about 100 words.
7. Of the remaining nine questions, three questions from each part shall be set. The candidate shall be required to attempt at least one question from each part, namely Part 'A' 'B' and 'C'
8. All questions shall carry equal marks i.e. 20 Marks each. **In all five questions are to be attempted.**

Part A : **Relevancy of facts:** Definitions, Relevancy of facts, Admission & Confession, Dying Declaration, Opinion of third persons when relevant.

Part B : **Facts which need not be proved:** Oral and documentary evidence, Exclusion of oral by documentary evidence, Public documents and presumptions as to documents.

Part C : **Production and effect of Evidence:** Burden of proof, Estoppel, Witnesses including their examination.

Personality Test

50 Marks

परिशिष्ट-3

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(धेनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
..... तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड की
.....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदे। 1950 (जैसा कि
समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदे। 1967, जैसा कि
उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में
मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा
उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर
जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

.....
दिनांक : पूरा नाम

.....
मुहर : पदनाम

.....
मजिस्ट्रेट/सिटी जिलाधिकारी/अपर जिला

.....
मजिस्ट्रेट/उप जिला

मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
..... तहसील नगर जिला
उत्तराखण्ड के राज्य की पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक
सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण
अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त
है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी.
दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के
ग्राम तहसील नगर जिला में
सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

.....
दिनांक : पूरा नाम

.....
मुहर : पदनाम

.....
मुहर : मुहर

जिलाधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट / सिटी
 मजिस्ट्रेट / उप जिला
 मैजिस्ट्रेट / तहसीलदार /
 जिला समाज कल्याण अधिकारी।

विकलांगों के लिए प्रमाण-पत्र

OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER

No.....

Dated

HANDICAP CERTIFICATE IN ACCORDANCE WITH THE G.O. No. 7/4/1971 KARMIK-2
(U.P.) DATED MAY 20, 1978

We Examined Sri/Smt./Km. aged about
 year on of/ Daughter of/Wife of
resident of whose Signature/
 L.T.I./R.T.I., is given below and certify that he/she is a case of
 We certify that he/she is permanently physically
 handicapped person.

Signature of Candidate

Orthopaedic

Surgeon (Member)

Eye Specialist

(Member)

Chief Medical Officer

(President)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
 आसनादे 1 संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
 (जैसा कि उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
 प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिला
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (गैरारिक्त रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और
 भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के
 अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित)



PDF Complete
Your Special Edition
complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

प्र/अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही
तंत्रता संग्राम सेनानी).....

स्थान :
.....
दिनांक :
.....
.....
.....
.....
.....

हस्ताक्षर
पूरा नाम.....
पदनाम
मुहर
जिलाधिकारी
(सील) .

कु ाल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
आसनादे ा संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर,1986
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र के फार्म-1 से 4

फार्म-1

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने दे ा की ओर से अन्तर्रा ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की रा ट्रीय फेडरे ान/रा ट्रीय एसोसिए ान का नाम
.....राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कु ाल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/आत्मज श्रीनिवासी.....(पूरा पता).....
.....ने दिनांकसे दिनांकतक (स्थान का नाम) में आयोजितक्रीडा/ खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूनामेन्ट में दे ा की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूनामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र रा ट्रीय फेडरे ान/रा ट्रीय एसोसिए ान/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये).....में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान :
दिनांक :
.....

हस्ताक्षर
पद
संस्था का नाम
.....
मुहर

ने इनल एसोसिए इन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से

फार्म-2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) (सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिए इन का नाम)
.....राज्य सरकार की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री..... निवासी
.....(पूरा पता) ने दिनांक.....
.....से दिनांक तक में
(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट का स्थान)
आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की
प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान
प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का
नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पद

संस्था का नाम

मुहर

नोट:- यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म-3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विविद्यालय की ओर से अन्तर्वि विविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विविद्यालय का नाम..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों
पर नियुक्ति के कुल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/पत्नी/ आत्मजा श्री.....निवासी (पूरा पता).....
.....विविद्यालय की कक्षा(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्वि विविद्यालय
.....(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विविद्यालय की ओर से भाग लिया।
उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया गया।
यह प्रमाण पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेलकूद
विविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक

नाम.....

पद नाम

संस्था का नाम.....
मुहर

नोट: यह प्रमाण पत्र उप कार्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेलकूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म-4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/निदेशिका, शिक्षा उत्तराखण्ड
.....राज्य स्तर की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता).....
.....मेंस्कूल में कक्षा.....(स्थान
का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की(क्रीड़ा/खेलकूद का
नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्कूल की ओर से भाग
लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया। यह
प्रमाण पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया
है।

स्थान.....
दिनांक

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद नाम

संस्था का नाम.....
मुहर

.....

नोट:- यह प्रमाण पत्र निदेशिका/या अतिरिक्त/संयुक्त या उप निदेशिका डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

(विक्रम सिंह नेगी)
सचिव